

## उत्तर प्रदेश शासन परिवहन अनुभाग-4,

संख्या:-14/2019/931/30-4-2019/01(सा0)/2017 लखनऊ दिनांक 07.06.2019

अपराध का विवरण	धारा	जुर्माना
बिना हेलमेट वाहन चलाना	129/177	500/-
दो पहिया वाहन पर तीन सवारी	128/177	300/-
यातायात के नियमों का उल्लंघन करना	119/177	300/-
गाड़ी चलाते समय वॉकमैन(ईयरफोन)/मोबाईल का प्रयोग करना।	21/25/177	500/-
दोष पूर्ण /टूटी नम्बर प्लेट को होना	51,50/177	300/-
चालक द्वारा यातायात संकेतों का उल्लंघन करना।	121/177	300/-
12 माह से अधिक समय तक अन्य राज्य के रजिस्ट्रीकरण का उपयोग करना।	47/177	300/-
बिना लाईसेन्स वाहन चलाना।	3/181	2500/-
अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना।	3/180	2500/-
वाहन चलाने के लिए लाईसेन्स धारण करने से अपात्र घोषित व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाना।	182(1)	2500/-
माँग किये जाने पर ड्राइविंग लाईसेन्स प्रस्तुत करने में विफल रहना।	130(1)	500/-
अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाईसेन्स देना।	6(2)/177	500/-
गति सीमाओं को उल्लंघन कर वाहन चलाना(ओवर स्पीड)	112/183(1)	2000-हल्के मोटरयान, 4000-मध्यम/भारी यात्री/मालयान की दशा में
खतरनाक तरीके से वाहन चलाना।	184	2500/-
शराब पीकर शराब पीकर वाहन चलाना।	185	2000/-
मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति का वाहन चलाना।	186	200/-
ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन, प्रशर हार्न, कर्कश हार्न, प्रदूषण प्रमाण का न होना, सन फिल्म(काली फिल्म)	190(2)	2500/-
नो एन्ट्री	115/184	500/-
ओवर लोड/ओवर हाईट/डाला खोलकर माल लादना	113/194	5000/-
नो पार्किंग	126/177-122	500/-
विधि के निर्देशों का अनुसरण न करना।	179(1)	1000/-
असत्य सूचना देना।	179(2)	1000/-
अपंजीकृत वाहन चलाना।	139/192	5000/-
बिना वीमा के वाहन चलाना	146/196	2000/-
चार पहिया वाहन बिना सील्ट बेल्ट के वाहन चलाना।	138(3)	500/-
हस्ताक्षर करने से मना करना।	132/177	100/-
परमिट शर्तों का उल्लंघन करना।	66/192(1)	2000/-
बिना फिटनेस वाहन चलाना।	56/192	2000/-
बिना परमिट वाहन चलाना।	66/192	2000/-